भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा को नियंत्रित किया जाना

1025. श्री के० सी० त्यागी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा की समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किसी विशेष ढांचे अथवा वैचारिक हस्तक्षेप का सुझाव दे रही है;
(ख) सरकार विश्विद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों, में राजनीतिक विचारधाराओं की पहचान जो पूर्वोत्तर में जातीय प्रतिद्वंद्विता का मुख्य स्रोत है, के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से क्या योजनाएं रखती है;
(ग) पूर्वोत्तर में अवसंरचना विकास, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु एक सशक्त उपाय माना जाता है, की योजना का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा पुरानी जातीय समस्या के पीड़ितों को हर्जाना दिए जाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। मौजूदा कानूनों के उपबंधों के अनुसार जातीय हिंसा से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार विशिष्ट अनुरोधों पर द्रुत कार्रवाई बल की तैनाती, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण सहित आसूचना के आदान-प्रदान, अग्रिम तौर पर अलर्ट संदेश और परामर्शी पत्रों को भेजने, केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों की सहायता करती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में पूर्वोत्तर राज्यों में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश भी परिचालित किया था। सभी संगठनों की उन गतिविधियों जिनका प्रभाव साम्प्रदायिक सौहार्द पर पड़ता है, पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

.....2/-

(ग) : पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को उदारीकृत 90:10 अंशदान पैटर्न पर केन्द्रीय सहायता दिए जाने के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) और विशेष योजना सहायता (एसपीए) के माध्यम से राज्यों द्वारा किए जा रहे विकास संबंधी प्रयासों को भी संपूरित कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय के लिए छूट न प्राप्त करने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजनागत बजटों के 10 प्रतिशत का निर्धारण, संसाधनों का गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल का निर्माण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय पैकेज ऐसी नीतिगत पहलें हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास के लिए की गई हैं।

(घ) : दिनांक 01.04.2008 से प्रभावी 'आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अक्षमता/अपंगता के मामले में सिविलियन पीड़ितों/पीड़ित के निकटतम संबंधी को 3 लाख रु. की राशि दी जाती है बशर्ते कि पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा रोजगार नहीं दिया गया है । दिनांक 29.06.2012 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधी को सहायता का भुगतान संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात, इस राशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी। क्षतिग्रस्त मकान के मामले में पीड़ित के परिवार को राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास अनुदान भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें नकद सहायता, जीसीआई शीटों का बंडल, कपड़ों और बर्तनों आदि के लिए नकद राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत नकद सहायता तथा चिह्नित प्रभावित परिवारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

****